12.10.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी लालचंद अनुपस्थित। प्रार्थी लालचंद द्वारा इस न्यायालय में न्यायालय अति. कलक्टर, तृतीय, जयपुर में निर्णित अपील सं0 76/2010 निर्णय दिनांक 17.02.2011 की पालना नही होने के कारण इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इजराय प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार, आमेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, आमेर द्वारा अवगत कराया है कि न्यायालय अति. कलक्टर, तृतीय, जयपुर के निर्णित अपील सं0 76/2010 लालचंद बनाम कान्ती कुमार पारीक में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2011 की अपील संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर में विचाराधीन है। जिसमें माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2011 की पालना में न्यायालय अति. कलक्टर, तृतीय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2011 की क्रियान्विती स्थगित रखने एवं उक्त निर्णय में अंकित ख0नं0 6996, 6997, 6998, 6999, 7000 की रिकार्ड एवं मौके यथास्थिति बनाये रखने के	पालना पत्रावली जारी 2234 8/11/21

आदेश दिये गये है, जिसकी पालना में वादग्रस्त भूमि की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का नोट जमाबंदी में अंकित कर दिया गया है। चूंकि प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः तहसीलदार द्वारा अति. कलक्टर, तृतीय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2011 की पालना नही की जा सकती है।

अतः उक्त विवेचनानुसार तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकरण में अग्रिम कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः प्रार्थी का इजराय प्रार्थना पत्र इस स्तर पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 12.10.2021 को सुनाया गया।

12-10-21

(डॉ. अशोक कुमार)

अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)

जयपुर